



राज्यपाल सचिवालय, बिहार

राजभवन, पटना-800022

पत्रांक:-BSU(VC)-45/2019-857/रा.सं.(I), दिनांक-27.05.2025
प्रेषक,

महावीर प्रसाद शर्मा, भा.प्र.से.

राज्यपाल के अपर सचिव

सेवा में,

कुलपति

तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर ।

वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा ।

विषय:- विश्वविद्यालयों द्वारा लिये जाने वाले नीतिगत निर्णय के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर एवं वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा के कुलपति का कार्यकाल निकट भविष्य में समाप्त होने की स्थिति में माननीय राज्यपाल-सह-कुलाधिपति, बिहार ने सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्देश देने की कृपा की है कि विश्वविद्यालय में किसी प्रकार के नीतिगत निर्णय / किसी प्रकार की नियुक्ति अथवा स्थानान्तरण इत्यादि की कार्रवाई नहीं की जाय । इस प्रकार किसी भी नई योजना एवं अन्य नए कार्य जिसमें वित्तीय दायित्व का निर्धारण/निर्वहण हो रहा हो, वैसे निर्णय नहीं लिये जाय ।

यदि विशेष परिस्थितिवश कार्यहित में किसी प्रकार के नीतिगत/वित्तीय निर्णय लिये जाने की आवश्यकता हो तो माननीय कुलाधिपति महोदय से पूर्वानुमति प्राप्त करने के पश्चात ही अग्रेतर कार्रवाई की जाय ।

अनुरोध है कि तदनुसार माननीय कुलाधिपति महोदय के उपर्युक्त आदेश का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(महावीर प्रसाद शर्मा)

राज्यपाल के अपर सचिव

ज्ञापांक:- BSU(VC)-45/2019-857/रा.सं.(I),

दिनांक-27.05.2025

प्रतिलिपि:- अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना / कुलसचिव, तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर एवं कुलसचिव, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

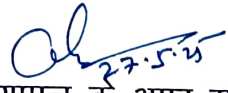
ह०/-

राज्यपाल के अपर सचिव

ज्ञापांक:- BSU(VC)-45/2019-857/रा.सं.(I),

दिनांक-27.05.2025

प्रतिलिपि:- राज्यपाल के विशेष कार्य पदाधिकारी / प्रधान सचिव कोषांग / उप निदेशक (NIC) को राज्यपाल सचिवालय के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित / गार्ड फाईल ।


राज्यपाल के अपर सचिव